# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला
(विधि शाखा)

## आ दे श

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision )वाद सं0 :– 13/2018–19

नारायण साहु –बनाम– लालधर साहु

अपीलार्थी श्री नारायण साहु पिता–स्व0 बुनिया साहु ग्राम–कसिरा थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–09/2016–17 में दिनांक–24.04.2018 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

**अपीलार्थी का पक्ष**

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी एवं उत्तरवादी दोनों आपस में सोहदर भाई है तथा दोनों के पिता बुनिया साहु थे। वर्ष 1952 में बुनिया साहु अपने जीवनकाल में ही अपने तीनों पुत्रों नारायण साहु शुभकरण साहु एवं लालधर साहु के बीच वर्ष 1952 में ही बंटवारा कर दिए थे जिसमें नारायण साहु के हिस्से में मिली जमीन इस वाद में वादग्रस्त है। वादग्रस्त जमीन बुनिया साहु की थी तथा वर्ष 1952 में उन्होने अपने जीवनकाल में ही परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से अपनी सभी जमीन का बंटवारा चार भाग में कर दिया था, जिसमें से एक हिस्सा बुनिया साहु ने स्वयं के लिए रखा था एवं एक–एक हिस्सा अपने तीनों पुत्रों शुभकरण साहु , लालधर साहु एवं नारायण साहु को दिया था, जिसमें वर्तमान में बुनिया साहु व उनके बड़े पुत्र सुशकरण साहु की मृत्यु हो चुकी है तथा सुशकरण साहु के पुत्र श्यामसुन्दर साहु वगैरह अभी जीवित है। पंचायती बंटवारा का एक मेमोरिण्डम भी उसी समय बनाया गया था जिसमें सभी हिस्सेदारों के हिस्से की जमीन को दर्शाया गया था। उसी बटंवारानामा के आधार पर सभी पक्षकार दखलकार हुए तथा अपने अपने हिस्से की जमीन में खेती करने लगे। शुभकरण साहु के पुत्रों द्वारा उसी बंटवारानामा के आधार पर अपने पिता के हिस्से की जमीन का नामांतरण भी नामांतरण वाद सं0–1124 आर 27/2012–13 के द्वारा बिना किसी आपत्ति के कराया जा चुका है तथा उसकी नामांतरण वर्तमान विपक्षी के पूर्ण जानकारी में हुई है। शुभकरण साहु के पुत्रों द्वारा उपने हिस्से की जमीनों का नामांतरण कराए जाने के बाद वर्तमान आवेदक द्वारा भी नामांतरण वाद सं0–688 आर 27/2013–14 द्वारा बिना आपत्ति के करवा लिया गया उस आदेश के विरुद्ध वर्त्तमान न्यायालय में अपील दाखिल किया तथा निम्न न्यायालय द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में अपील दाखिल किया गया तथा निम्न न्यायालय द्वारा सह अवधारित करते हुए कि वर्ष 1952 का बंटवारा कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया तथा वर्त्तमान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी कागजातों को बिना किसी आधार के दर किनार कर दिया। उत्तरवादी का यह भी कथन है कि वर्ष 1952 का बंटवारानामा कभी प्रभाव में नही आया

Scanned with OKEN Scanner

जिसे निम्न न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश में माना गया है । अपीलार्थी के द्वारा अपने हिस्से का कुछ भाग निबंधित विकय पत्र दिनांक–23.03.1996 के द्वारा दारोगा साहु को बिक्री किया गया है। जिसमें उत्तरवादी का हस्ताक्षर है। अपीलार्थी के द्वारा अपने हिससे की जमीन का कुछ भाग निबंधित बिकय पत्र दिनांक–11.12.1999 के द्वारा हस्तांतरित किया गया है जिस पर गवाह के रुप में उत्तरवादी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। पुनः अपीलार्थी ने अपने हिससे की कुछ जमीन को निबंधित बिकय पत्र दिनांक–11.12.1999 के द्वारा चुरामण साहु एवं शान्ति देवी को बिक्री किया है उसमें भी उत्तरवादी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नामांतरण वाद सं0–1124 आर 27/2012–13 में जिसके आदेश द्वारा श्याम सुन्दर साहु वगैरह द्वारा शुभकरण साहु के हिस्से की जमीन का नामांतरण कराया है उसमें स्वयं विपक्षी द्वारा दिनांक–16.12.2012 को मेगा लोक अदालत में अपील दाखिल किया है कि श्यामसुन्द साहु वगैरह के हिस्से की जमीन का 1952 के बंटवारानामा से मिलान कर नामांतरण किया जा सकता है। वर्ष 1952 का बंटवारानामा पूर्णतः प्रभावी हुआ और स्वयं उत्तरवादी द्वारा मेगा लोक अदालत में आवेदन दाखिल कर उस तथ्य को स्वीकार किया है, निम्न न्यायालय के द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए गलत आदेश पारित किया है निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी कागजातों पर विश्वास नही किए जाने का भी कोई आधार अपने आदेश में वर्णित नही किया गया है। मेगा लोक अदालत में विपक्षी लालधर साहु द्वारा आवेदन देकर वर्ष 1952 के बटंवारानामा को स्वीकार किया जाना धारा–59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ग्राहय साक्ष्य है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2007 (9) जे0 एल0 जे0 आर0 (एस0 सी0) 81 2013(4) जे0 सी0 आर0 58 (एस0 सी0) में अभि निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बंध में 2010(1) जे0 एल0 जे0 आर0 192 (एस0सी0) में भी इस तथ्य को प्रतिपादित किया है। ए0 आई0 आर0 1995 (एस0सी0) 1728 एवं 2010 जे0एल0जे0आर0 174 (एस0सी0) के रुलिंग में भी अपंजीकृत बंटवारानामा को मान्यता प्रदान की गई है इसलिए उक्त बंटवारानामा को किसी भी दृष्टिकोण से दरकिनार किया जाना न्यायोचित नही है। अंचल अधिकारी गुमला के न्यायालय में दखल के सम्बंध में राजस्व कर्मचारी व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन की मांग की गई थी जिसमें उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि अपीलार्थी का अपने हिस्से की जमीन पर दखल है तथा सन् 1952 के बंटवारानामा के अस्तित्व को उत्तरवादी द्वारा स्वयं स्वकार किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए म्यूटेशन रिवीजन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है, जो निम्नांकित है :–

1. **JCR 58 (SC) 2013 (4)** की छाया प्रति।
2. Hindu Law की छाया प्रति।
3. **Revenue Record of Partition** की छाया प्रति।
4. **Transfer of Property** की छाया प्रति।
5. मेगा लोक अदालत की छाया प्रति।
6. निबंधित पट्टा सं0 691 केत्ता दरोगा साहु की छाया प्रति।
7. निबंधित पट्टा केत्ता बन्दी साहु की छाया प्रति।
8. निबंधित पट्टा केत्ता चुरामन साहु की छाया प्रति।
9. निबंधित पट्टा केत्ता शान्ति देवी की छाया प्रति।

Scanned with OKEN Scanner

10 शुद्धि पत्र की छाया प्रति।
11 बटवारानामा 1952 की छाया प्रति।

उत्तरवादी का पक्ष

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा कसीरा में अवस्थित है। जिसमें विभिन्न खाता प्लॉट मिला कर कुल 24.55 एकड़ भूमि सन्निहित है। उनका कहना है कि उभय पक्ष दोनो सोहदर भाई है। वर्ष–1952 में उनके बड़े भाई शुभकरण साहु अपने दोनों सौतेला भाई अपीलार्थी नारायण साहु एवं उत्तरवादी लालधर साहु से अलग हो चुके थे। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी दोनो पिता के साथ अंतिम क्षण तक एक साथ थे। अपने पिता के जीवनकाल में अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के बीच चल अचल सम्पति का बटवारा नही हुआ। अपीलार्थी नारायण साहु एक सादा बटवारा कागज दिखा कर उत्तरवादी लालधर साहु के आपसी सहमति के बीना प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम से करा लिया वह गलत है। उत्तरवादी के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए म्यूटेशन रिवीजन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क एवं समर्पित दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी नारायण साहु वो उत्तरवादी लालधर साहु सहोदर भाई है तथा दोनों के पिता बुनिया साहु थे बुनिया साहु अपने जीवनकाल में ही अपने तीनों पुत्रों नारायण साहु, शुभकरण साहु एवं लालधर साहु के बीच वर्ष 1952 में बटवारा कर दिये थे। उक्त बटवारा के मुताबिक शुभकरण के पुत्रगण श्याम सुन्दर साहु वगै0 के नाम दाखिल खारिज 1124 आर 27/2012–13 से नामातरण हो चुका है जिसमें उत्तरवादी लालधर साहु एवं उनके पुत्रों का कोई आपत्ति नही है, साथ ही अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1952 के सादा बटवारा को आधार मानकर अपने हिस्से की कुछ जमीन को चार निबंधित बिक्रय पत्र से क्रमशः दरोगा साहु, चुड़ामण साहु तथा शान्ति देवी को वर्ष–1996 तथा 1999 में हस्तातंरित किया है जिसमें उत्तरवादी लालधर साहु का गवाह के रुप में हस्ताक्षर है। उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रुप से दर्शाता है कि सन् 1952 का बटवारानामा सभी हिस्सेदारों के बीच अमल प्रभाव में आया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2010 (1) JLJR -174 Sc में अपने न्ययादेश में अनिबंधित बटवारानामा को वैध दस्तावेज माना है। अपीलार्थी नारायण साहु द्वारा सन् 1952 के बटवारा में प्राप्त अपने हिस्से का जमीन का दाखिल खारिज हेतु निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी गुमला के समक्ष दाखिल खारिज वाद सं0–688 आर 27/2013–14 नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल किया था। जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा पूर्ण जाँचोपरान्त नारायण साहु के हित में नामान्तरण स्वीकृत की गई थी परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा वगैर किसी विधिक कारण दर्शाये उत्तरवादी लालधर साहु के अपील को स्वीकृत कर ली गई थी, जो कि निरस्त करने योग्य है।

अतः अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अंचल अधिकारी गुमला द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–688 आर 27/2013–14 में पारित आदेश को बहाल रखते हुए इस म्यूटेशन रिवीजन वाद को समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ सबंधित अंचल अधिकारी को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

03.07.22
उपायुक्त,
गुमला

03.07.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.10.13 16:45:48 +05:30
Location: 192.168.43.106

Scanned with OKEN Scanner